राजस्थान होर्टीकल्चर एण्ड नर्सरी सोसायटी (राजहंस)
पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः प.11(41)राजहंस/पौध आपूर्ती/मौसमी/2015–16/1297 दिनांकः 3/8/16

वित्तीय वर्ष 2016–17 में मौसमी–न्यूसैलर के पौधों की आपूर्ती के लिये सीमित निविदा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में मौसमी–न्यूसैलर फलदार पौधों की आपूर्ती हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित नर्सरी धारकों से सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है, जिस राज्य में पंजीकरण अधिनियम लागू हो वहां नर्सरी धारक की नर्सरी का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है, जिन राज्यों में पंजीकरण अधिनियम नहीं है वहां जिला उद्यान/कृषि अधिकारी का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा एक्रिडेटेड नर्सरियों/एक्रीडेसन हेतु आवेदित नर्सरियों द्वारा पौध आपूर्ती करवाई जावेगी। पौध आपूर्ति हेतु पौधों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार होगीः–

क्र. सं.	नाम कलमी पौधा	किस्म	अनुमानित मात्रा (इकाई में)	अनुमानित राशि (लाख में)	बिड सिक्योरिटी (2 प्रतिशत)
1	मौसमी	न्यूसैलर	10260	1.90	3800
	कुल योग		**10260**	**1.90**	**3800**

उक्त फलदार पौधों की मांग अनुमानित है। आवश्यकता होने पर ही फलदार पौधे क्रय किये जावेगे।

विस्तृत सीमित निविदा प्रपत्र दिनांक 03.08.16 के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में निदेशालय उद्यान में केशियर राजहंस कमरा न. 362 से प्राप्त करें अथवा SPPP(State Public Procurment Portal) एवं विभागीय वेबसाईट www.horticulture.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

विस्तृत निविदा प्रपत्र व शर्ते दिनांक 03.08.16 के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में 300 रू. कैशियर राजहंस को जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। डाक से मंगवाये जाने पर 350 रू. डिमान्ड ड्राफ्ट जो **मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'राजहंस', जयपुर/CEO RAJHANS, Jaipur** के पक्ष में देय हो, कार्यालय जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

निविदादाताओं को निविदा की 2 प्रतिशत बतौर बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी) रूपये 3800/– का डी.डी. तकनीकी निविदा के साथ लगाना आवश्यक होगा, जो कि **मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'राजहंस', जयपुर/CEO RAJHANS, Jaipur** के पक्ष में देय हो। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा सूचना के साथ संलग्न तकनीकी सूचना अनुलग्न अ तथा वित्तीय अनुलग्न ब में सूचना/दरें भरी जाकर दिनांक 12.08.16 को कमरा न. 376 में प्रस्तुत की जा सकती है। तकनीकी योग्यता सम्बंधी दस्तावेज की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जावें। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दिनांक 12.08.16 को ही प्रातः 11.30 बजे इस हेतु गठित उपापन कमेटी द्वारा खोली जावेगी।

पौधों की संख्या अनुमानित है जो आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। निविदा फार्म की विस्तृत जानकारी SPPP(State Public Procurment Portal) एवं विभागीय वेबसाईट www.horticulture.rajasthan.gov.in पर प्राप्त करें।

निदेशक उद्यान
व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजहंस, जयपुर

<u>अनुलग्न – अ</u>

सीमित तकनीकी निविदा

1. Tender Form Fees 300/- (D.D. Payble to Chief Executive Officer 'RAJHANS' Jaipur) नगद क्रय करने पर
2. टेण्डर फीस 350/– (डाक द्वारा मंगवाने पर)

राजस्थान हॉर्टीकल्चर एवं नर्सरी सोसाइटी (राजहंस)
तीसरी मंजिल, पंत कृषि भवन, राजस्थान जयपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में मौसमी–न्यूसैलर के पौधों की आपूर्ती के लिये सीमित तकनीकी निविदा।

तकनीकी निविदा के साथ निम्न सूचनाओं की प्रमाणित प्रति संलग्न करे :–

1. बोलीदाता के पास पिछले दो वर्षों में पौधें आपूर्ती करने का अनुभव होना चाहिए, साथ ही गत दो वर्षों की पौध आपूर्ती का विवरण मय आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी। पौधशाला मालिक के पास दो वर्षों का कलमी पौधें स्वयं की नर्सरी से उत्पादन एवं आपूर्ती/विक्रय करने का प्रमाण होना चाहिये।
2. पौध आपूर्ती निविदा में वो नर्सरियों जिनका राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रीडेसन प्राप्त हो गया है/जिन नर्सरियों ने एन.एच.बी. में एक्रीडेसन हेतु आवेदन कर रखा है, उनको निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा, परन्तु कार्य आदेश देने से पूर्व निविदादाताओं को नर्सरियों के एक्रीडेसन की सुनिश्चित्ता उपरान्त ही आदेश दिये जावेगें।
3. निविदा, उन्हीं निविदादाताओं से स्वीकार की जावेगी, जिनकी पौध उत्पादन क्षमता कम से कम दस हजार पौधे प्रति वर्ष हों एवं निविदा कम से कम दस हजार पौधों हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
4. नर्सरी के नवीन पंजीकरण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जावें।
5. वर्तमान में नर्सरी/प्रयोगशाला में किस–किस किस्म के कितनी संख्या में पौधे है, का विवरण संलग्न करे (<u>उन्हीं पौधों का विवरण दे जिसकी निविदा दी जा रही है</u>)।

क्र. सं.	पौधे की किस्म	उत्पादन क्षमता	वर्तमान में उपलब्ध पौधों की संख्या	बोली में आपूर्ती हेतु पौधों की संख्या	मातृ पौधे का प्राप्ति स्थान

6. राज्य में फलदार पौधों की मांग में वृद्धि होने की स्थिति में यदि पौधशाला पर अनुबंधित, आदेशित मात्रा के अतिरिक्त ओर पौधे उपलब्ध है व नर्सरी के संसाधन एवं मातृ पौधे क्षमतानुसार है तो अनुमोदित दर एवं शर्तों पर मूल अनुबंध में वर्णित मूल्य के 50 प्रतिशत तक पुनरादेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'राजहंस' जारी कर सकेगा।
7. बोलीदाऐं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजहंस द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
8. बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहर बन्द लिफाफे में सोसायटी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में ही निविदाऐं स्वीकार की जावेगी। डाक तार द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। तकनीकी एवं वित्तीय निविदाऐं अलग–अलग लिफाफे मं प्रस्तुत की जावें।
9. पौधों की दरें एफ.ओ.आर. (राजस्थान जिला मुख्यालय) हेतु अनुमोदित की जावेगी। जिसमें ट्रक भाड़ा/चुंगी व समस्त प्रकार के व्यय का भुगतान अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को करना होगा। अनुमोदित सप्लायर द्वारा आपूर्ती किये गये पौधों में से विभागीय मापदण्डानुसार एवं जीवित स्वस्थ पौधों का भुगतान अनुमोदित दर से किया जावेगा।

10. दर प्रति पौधे के हिसाब से दर्शाई जावे। सशर्त दरें स्वीकार नहीं की जावेगी।

11. दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। दरे स्याही से अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी अंकित की जावें। दरों के अंकन में कांट–छांट होने पर बोली निरस्त की जा सकती है।

12. पौधे विभागीय मापदण्ड (संलग्न परिशिष्ट–1) के अनुसार तैयार कर निर्धारित अवधि पर राजस्थान राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय/राजहंस इकाईयों पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

13. वित्तीय वर्ष 2016–17 में पौध आपूर्तिकर्ता को जूलाई, 2016 से मार्च 2017 तक आदेशानुसार नर्सरियों को आपूर्ति करनी होगी।

नोटः– 1. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय पता

परिशिष्ट–1

कलमी पौधों के मापदण्ड

क. सं.	फलदार पौधा	किस्म		पौधों के मापदण्ड
1	मौसमी	न्यू–सैलर	क	कलिका उस मातृवृक्ष से ली जाए जिसकी उत्पादकता अधिक एवं पूर्णतः स्वस्थ हो।
			ख	मूलवृन्त पर कलिकायन 9 इन्च की ऊचाई पर की जाए जिसका जोड सुदृढ हो।
			ग	तैयार पौधों की उंचाई कम से कम $3^{1/4}$ से 4 फीट होना आवश्यक है।
			घ	पुनः कलिकायन किये हुये पौधे स्वीकार नहीं होगें ।

<u>अनुलग्न – ब</u>

वित्तीय निविदा प्रपत्र

वर्ष 2015–16 पौध आपूर्ती हेतु

क्र. स.	नाम पौधा फल/फूल	किस्म	पैकिंग प्रकार	पौधों की संख्या (इकाई में)	दर प्रति पौधा राजस्थान राज्य में जिला मुख्यालय पर FOR (प्रति पौधा रू. में)	
					अंको में	अक्षरों में
1	मौसमी	न्यूसैलर	मुजेठी में			